

सक्षम प्राधिकारी / अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), रुद्रप्रयाग, (उत्तराखण्ड)

संशोधित अनुपूरक अधिनिर्णय

1.	वाद संख्या	13 (1) / 2017-18
2.	ग्राम का नाम	शिवनन्दी
3.	परगना	रुद्रप्रयाग
4.	तहसील	रुद्रप्रयाग
5.	जनपद	रुद्रप्रयाग
6.	अर्जन निकाय का नाम	सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपमहाप्रबन्धक, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लि0, म0न0-58/37, प्रथम तल, बलबीर रोड देहरादून।
7.	भूमि अर्जन का प्रयोजन	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (पुराना 58) के ग्राम लमेरी से ग्राम भेडगांव तक के (कि0मी0 368.00 से कि0मी0 384.400) तक दो लेन/पेड शोल्डर सहित दो लेन का बनाना।
8.	क्षेत्रफल (क) प्रकाशित क्षेत्रफल	0.640 है0
	(ख) अभिनिर्णय क्षेत्रफल	0.0750 है0
9.	राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा-3(A)की अधिसूचना संख्या व प्रकाशित गजट का दिनांक	का0आ0 1179 (अ) दिनांक 22 मार्च 2016 भारत का राजपत्र 'असाधारण' भाग-॥ खण्ड -3 उप-खण्ड (ii) (कि0मी0 368.00 से कि0मी0 384.00 ग्राम लमेरी से भेडगांव तक)
10.	राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा-3(A) की उपधारा (3) की अधिसूचना के नियमानुसार दो स्थानीय समाचार पत्रों का नाम व प्रकाशन का दिनांक	1. अमर उजाजा 18 जून 2016 2. हिन्दुस्तान 18 जून 2016
11.	प्राप्त आपत्तियों की संख्या/सुनवाई की तिथि	कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।
12.	राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा-3(D) की अधिसूचना संख्या व प्रकाशित गजट का दिनांक	का0आ0 903 (अ) दिनांक 21 मार्च 2017 भारत का राजपत्र 'असाधारण' भाग-॥ खण्ड-3 उप-खण्ड (ii) कि0मी0 368.00 से कि0मी0 384.00 (ग्राम लमेरी से भेडगांव तक)
13.	राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा-3(D) की उपधारा (1) की अधिसूचना के नियमानुसार दो स्थानीय समाचार पत्रों का नाम व प्रकाशन का दिनांक	1. अमर उजाला 7 मई 2017 2. दैनिक जागरण 7 मई 2017
14.	कब्जा दिनांक	
15.	अनुपूरक अधिनिर्णय की तिथि	दिनांक 01.06.2018
15(अ)	संशोधित अनुपूरक अधिनिर्णय की तिथि	दिनांक 10.01.2019
16.	संशोधित अनुपूरक अधिनिर्णय की धनराशि	रु0 10090443.00
	(क) भवन संरचना की प्रतिकर धनराशि	रु0 4996599.00




	(ख) वृक्षों की प्रतिकर धनराशि	रु0 शून्य
	(ग) भूमि+परिसम्पत्तियों का योग (क+ख)	रु0 4996599.00
	(घ) नये भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 30(1) के अनुरूप 100 प्रतिशत तोषण (सोलेशियम) की धनराशि	रु0 4996599.00
	(ङ) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 30 (3) के तहत 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से (3ए प्रकाशन की तिथि दिनांक 22-03-2016 से 12-12-2017 तक ) की अतिरिक्त धनराशि 629 दिन के लिये	रु0 97245.00
17	प्रतिकर की कुल धनराशि( ग+घ+ङ)	रु0 10090443.00
18	10 प्रतिशत भूमि अध्याप्ति व्यय की धनराशि	रु0 1009044.30
19	कुल योग - (17+18)	रु0 11099487.30

विवरण:-

ग्राम शिवनन्दी परगना/तहसील रुद्रप्रयाग में ग्राम शिवनन्दी परगना/तहसील रुद्रप्रयाग हेतु दिनांक 01.06.2018 को अनुपूरक अभिनिर्णय में खसरा नम्बर 134 में त्रुटिवश एक भवन का निर्धारित रेट अधिक अंकित किया गया था, अतः खसरा नम्बर 134 की अधिग्रहीत की जा रही भूमि पर स्थित भवन के प्रतिकर का पुनः निर्धारण कर संशोधित अधिनिर्णय प्रस्तावित किया जा रहा है। ग्राम शिवनन्दी की अर्जित भूमि पर स्थित भवनों की कुल आंकलित धनराशि रु0 4996599.00 आती है। अतः भूमि पर स्थित भवनों की प्रतिकर राशि 4996599.00 होती है जिस पर 100 प्रतिशत तोषण की राशि रु0 4996599.00 कुल प्रतिकर राशि रु0 9993198.00 होती है। इसी प्रकार पूर्व अधिनिर्णय में भू-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-30 (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 30(A) के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि दिनांक 22-03-2016 से अभिनिर्णय की तिथि दिनांक 12-12-2017 तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से भूमि के बाजार मूल्य पर ब्याज की गणना की जानी है। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(A) अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना की तिथि 22.3.2016 से अधिनिर्णय की तिथि 12.12.2017 तक कुल 629 दिनों के ब्याज की धनराशि की गणना की गई है जो रु0 97245.00 आता है। अतः कुल प्रतिकर धनराशि रु0 10090443.00 अर्जन निकाय को जमा करना होगा।

दिनांक : 10.01.2019

  
 सक्षम प्राधिकारी/  
 अपर जिलाधिकारी  
 रुद्रप्रयाग।

जनपद रुद्रप्रयाग के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 कि०मी० 368 से 384 तक के भूमि अधिग्रहण के ग्राम शिवनन्दी तहसील रुद्रप्रयाग के प्रतिकर की विवरणी

प्रपत्र-11		भूमि का प्रतिकर											भवन का प्रतिकर												
क्र० सं०	नाम भूस्वामी/भवन स्वामी	अंश	खाता संख्या	अर्जित भूमि का खसरा न०	खसरे का अर्जित क्षेत्रफल (हे० में)	भूमि का अर्जित क्षेत्रफल (हे० में)	दर प्रति वर्ग मी० (अकृषि)	दर वर्ग मी० (कृषि)	भूमि का प्रतिकर (कालम 4x कालम 5) (लागत रू० में)	ग्रामीण क्षेत्र की दशा में दोगुना (कालम 6x2) (लागत रू० में)	100 प्रतिशत तोषण (कालम 7)(लागत रू० में)	योग (कालम 7+ कालम 8)	12 प्रतिशत ब्याज मुलधन X12X629 /36500	सर्वे सीट संख्या	भवन का प्रतिकर (लागत रू० में)	वृक्षों का प्रतिकर (लागत रू० में)	योग (कालम 12 + कालम 13) (लागत रू० में)	100 प्रतिशत तोषण (कालम 14) (लागत रू० में)	योग (कालम 14 + कालम 15) (लागत रू० में)	आयकर कटौती (लागत रू० में)	अवशेष धनराशि (लागत रू० में)	बंटवा रा	टिप्पणी		
	1	2	3	3 अ	3 ब	4	4अ	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	लक्ष्मीप्रसाद पुत्र विशम्बरदास,			120	0.0100	0.0100	-	627	62700	125400	125400	250800	12966		0	0	0	0	0	-	-	-	-		
2	रमेश चन्द्र पुत्र माधोदास, आदि			131	0.0140	0.0140	-	627	87780	175560	175560	351120	18152		0	0	0	0	0	-	-	-	-		
3	श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर			134	0.0150	0.0150	-	627	94050	188100	188100	376200	19449	134	2908288	0	2908288	2908288	5816577	-	-	-	-		
4	दिनेश चन्द्र, गिरिश चन्द्र पुत्रगण, आदि			145	0.0080	0.0080	-	627	50160	100320	100320	200640	10373		0	0	0	0	0	-	-	-	-		
5	दिनेश चन्द्र, गिरिश चन्द्र पुत्रगण, आदि			146	0.0040	0.0040	-	627	25080	50160	50160	100320	5186		0	0	0	0	0	-	-	-	-		
6	हरि प्रसाद, भरतप्रसाद, सरत प्रसाद, रामेश्वर प्रसाद पुत्रगण टीकाराम आदि			158	0.0060	0.0060	-	627	37620	75240	75240	150480	7780		0	0	0	0	0	-	-	-	-		
7	जीत सिंह, इन्द्र सिंह, विजयसिंह आदि			165	0.0080	0.0080	-	627	50160	100320	100320	200640	10373		0	0	0	0	0	-	-	-	-		
8	जीत सिंह, इन्द्र सिंह, विजय सिंह आदि			166	0.0100	0.0100	-	627	62700	125400	125400	250800	12966		0	0	0	0	0	-	-	-	-		
9	श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर			148	0.0000	0.0000	-	627	0	0	0	0	0	148	315253	0	315253	315253	630507	-	-	-	-		
10	उत्तराखण्ड सरकार			155	0.0000	0.0000	-	627	0	0	0	0	0	155	372227	0	372227	372227	744455	-	-	-	-		
11	श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर			147/ 148	0.0000	0.0000	-	627	0	0	0	0	0	147/ 148	784138	0	784138	784138	1568276	-	-	-	-		
12	उत्तराखण्ड सरकार			283/ 282	0.0000	0.0000	-	627	0	0	0	0	0	283/ 282	616692	0	616692	616692	1233384	-	-	-	-		
भूमि का कुल अर्जित क्षेत्रफल =						0.0750	अर्जित भूमि का कुल प्रतिकर =						97245	भवन का कुल प्रतिकर =						4996599	0	9993198			

कुल प्रतिकर (भूमि का 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि +परिसंपत्ति) = 10090443

*(Signature)*  
A-0. (L.A.)  
10/11/19

*(Signature)*  
CAO  
10/11/19

*(Signature)*  
10-11-19